प्रेषक,

विजय किरन आनन्द,
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),उ0प्र0

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0
3– समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ0प्र0

संख्या:5/812/2017–5/38सी/2016 लखनऊ दिनांक: 10 मई, 2017

विषय:स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों मे लाभार्थीवार अंकन एवं ओ0डी0एफ0 वेरिफिकेशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उच्च स्तर से लिये गये निर्णय के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले मे शौच मुक्त किया जाना है। जनपदों द्वारा अधिक संख्या में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराना होगा एवं ग्रामों द्वारा खुले में शौच मुक्त(**ODF**) स्वघोषित किया जायेगा। इस अभियान में यह अति आवश्यक है की जनपद में लागू अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ रहे, हर एक शौचालय का अंकन हो, शत प्रतिशत गुणवत्ता पूर्वक Geo-Tagging हो एवं ओ0डी0एफ0 वेरिफिकेशन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। जिसके लिए जनपद स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना होगा–

(क)–निर्मित शौचालयों में लाभार्थी के नाम का अंकन – शासनादेश संख्या– 2923/33–3–2016–268/2016 दिनांक 25 नवम्बर 2016 मे की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत में निर्मित समस्त शौचालयों में अनिवार्य रूप से कार्यक्रम का नाम, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत का नाम, निर्माण वर्ष, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम सहित एवं लाभार्थी क्रमांक ग्राम पंचायत की एल.जी.डी. कोड/ग्राम पंचायत कोड के साथ अंकित किया जायेगा तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा समस्त लाभार्थियों की सूची लाभार्थी क्रमांक सहित रजिस्टर मे निर्धारित प्रारूप पर अंकित की जायेगी। नये निर्मित होने वाले शौचालयों की सूची में निरन्तर शामिल किया जायेगा। लाभार्थीवार सूची ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर संरक्षित रखी जायेगी।

(ख)–निर्मित शौचालयों में यूनिकोडिंग– ग्राम पंचायत में निर्मित समस्त शौचालयों में यूनिकोडिंग अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। शासनादेश संख्या– 2923/33–3–2016–268/2016 दिनांक 25 नवम्बर 2016 मे की गयी व्यवस्था के अनुसार शासनादेश निर्गत होने से पूर्व शौचालयों का कोड LGD कोड के साथ 5001 से प्रारम्भ किया जायेगा तथा शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त निर्मित शौचालयों का कोड LGD कोड के साथ 0001 से प्रारम्भ किया जायेगा।

उदाहरणार्थः–

शासनादेश निर्गत होने से पूर्व निर्मित शौचालय हेतु–

कार्यक्रम का नाम– सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

जनपद–आगरा, **विकास खण्ड**–अकोला, **ग्राम पंचायत**– अभयपुरा

शौचालय निर्माण वर्ष –वित्तीय 1999–2000

लाभार्थी का नाम —श्री / श्रीमती.......
पिता / पति का नाम —श्री ......

लाभार्थी क्रमांक—ग्राम पंचायत का एल.जी.डी. कोड—5001 से प्रारम्भ जैसे—**42776-5001**
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मे निर्मित शौचालय हेतु
उदाहरणार्थः—
शासनादेश निर्गत होने के पश्चात निर्मित शौचालय हेतुः—
कार्यक्रम का नाम— स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
जनपद—आगरा, **विकास खण्ड**—अकोला, **ग्राम पंचायत**— अभयपुरा
शौचालय निर्माण वर्ष —वित्तीय 2016—17
लाभार्थी का नाम —श्री / श्रीमती.......
पिता / पति का नाम —श्री ......

लाभार्थी क्रमांक—ग्राम पंचायत का एल.जी.डी. कोड—0001 से प्रारम्भ जैसे—**42776-0001**

(ग)—निर्मित शौचालयों का Geo-Tagging —स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों का **Geo-Tagging**(अक्षांश एवं देशांतर) सहित पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा, जिसमे लाभार्थी का नाम सुपरस्ट्रक्चर, यूनिकोड एवं लाभार्थी स्पष्ट रूप से दिखाई देना आवश्यक है। समय—समय पर जिला स्वच्छता समिति द्वारा जनपद स्तर से अपलोड की जा रही फोटोग्राफ की गुणवत्ता जनपद में गठित स्वतंत्र टीम से परीक्षण किया जाता रहे।

(घ)—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत खुले में शौच मुक्त (ODF) की परिभाषा— पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 (खुले में शौच मुक्त) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः—

- ग्राम / वातारण मे कोई मल दृष्यमान न हो (No visible faeces found in the environment/village)
- प्रत्येक घर के साथ—साथ सार्वजानिक / सामुदायिक संस्थाओं द्वारा मानव मल के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी का प्रयोग किया गया हो (every household as well as public/community institution using safe technology option for disposal fo faeces) सुरक्षित तकनीकी का अभिप्राय यह है कि मिटटी, भूगर्भ जल तथा धरातल पर उपलब्ध जल प्रदूषित न हो तथा उन तक मक्खियों व जानवरों की पहुँच न हो साथ ही किसी प्रकार की बदबू इत्यादि का अनुभव नह हो (Safe technology option means no contamination of surface soil, ground water or surface water, excreta inaccessible to flies or animals, no handing of fresh excreta and freedom from odour and unsightly condition).

ओ0डी0एफ0 (खुले में शौच मुक्त) ग्राम / ग्राम पंचायतों के उक्त परिभाषा के आलोक में सत्यापन के लिये चेक लिस्ट / मानक निर्धारित किये गए है जो **संलग्न—1** है ।

ओ0डी0एफ0 हेतु चिन्हित समस्त ग्राम पंचायत / ग्राम / मजरे को सर्व प्रथम ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्तर से ओ0डी0एफ0 (खुले में शौच मुक्त) की घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव को संस्तुति सहित

जनपद स्तरीय सत्यापन टीम को प्रेषित की जाएगी। बी0पी0एम0यू0 (ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई) द्वारा इस संस्तुति हेतु अपनी व्यवस्था बनायीं जाये।

खुले मे शौच मुक्त घोषित ग्राम पंचायत/ग्राम की सत्यापन (ODF Verification) की प्रक्रिया का विवरण :—

A	ODF Verification किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	जनपद स्तरीय टीम का गठन।	जनपद द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन से नामित तीन सदस्यीय टीम का गठन 1. जनपद स्तरीय अधिकारी (स्वच्छता से संबंधित विभागों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ग्राम विकास, राजस्व तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार, जनपद स्तरीय स्वच्छता कन्सलटेन्ट) 2. जनपद स्तरीय स्वच्छता कन्सल्टेन्ट/अन्य ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी 3. खण्ड स्तरीय अधिकारी (स्वच्छता से संबंधित विभागों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ग्राम विकास, राजस्व तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार, किन्तु क्रम संख्या–1 के अधिकारियों से भिन्न विभाग के)
2	गठित जनपद स्तरीय टीम द्वारा समस्त परिवारों के शत् प्रतिशत सत्यापन के साथ साथ भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 के अन्य मानदण्डों पर सत्यापन।	जनपद द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन से नामित जनपद स्तरीय टीम
3	चिन्हित ग्राम पंचायत/ग्राम को खुले मे शौच मुक्त घोषित करने हेतु गठित जनपद स्तरीय टीम द्वारा सर्वे कार्य पूर्ण कर आख्या जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	जनपद द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदन से नामित जनपद स्तरीय टीम.
4	टीम से प्राप्त आख्या को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना।	जिला पंचायत राज अधिकारी/जिला कन्सल्टेन्ट, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

जनपद द्वारा ओ0डी0एफ0 वेरिफिकेशन हेतु गठित जनपद स्तरीय टीमों का ओ0डी0एफ0 सत्यापन हेतु निर्धारित मानक (Indicator) पर अभिमुखीकरण (ओरियेन्टेशन) अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(ड) थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन– शासनादेश संख्या–195/33–3–2015–110/2012 दिनांक 06 फरवरी 2015 के बिन्दु संख्या–11.8 मे परियोजना के निगरानी एवं मूल्यांकन पर व्यय होने वाली धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत किये जाने का प्राविधान है।

मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास, लखनऊ के पत्र संख्या–2714/कौ.वि.मि./16–17/एस./विविध पत्राचार/332 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा ग्रामीण योजनान्तर्गत खुले मे शौच मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के सत्यापन कराये जाने हेतु कौशल विकास निगम से जुड़े प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को शामिल करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

समस्त जनपदों मे थर्ड पार्टी के रूप मे कौशल विकास मिशन, आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूह के सदस्यों, एन.एस.एस., एन.वाई.के. आदि से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का शत्प्रतिशत सत्यापन किया जाना है। सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर कमेटी गठित कर ग्राम पंचायतों मे निर्मित शौचालयों सत्यापन के लिये नोडल अधिकारी नामित किये जा सकते है व नामित अधिकारियों के साथ उपरोक्तानुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों का शत्प्रतिशत शौचालय सत्यापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों को मानदेय के रूप मे प्रतिदिन रू0 250.00 से रू0 300.00 तक की धनराशि मानदेय के रूप मे अनुमन्य होगी अथवा प्रति शौचालय सत्यापन हेतु रू0 2.00 से रू0 2.50 पै. का भुगतान भी किया जा सकेगा। यह व्यवस्था प्रतिदिन कम से कम 100 शौचालयों के सत्यापन किये जाने पर ही अनुमन्य होगी। जनपद प्रति प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन सत्यापित शौचालयों की संख्या को बढ़ा भी सकते है। जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी उपरोक्तानुसार अपने जनपद की व्यवस्था निर्धारित करें। जनपद स्तर से सत्यापन हेतु नामित टीम में नोडल अधिकारी के साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों की टीम लगाकर शत प्रतिशत शौचालय का सत्यापन किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद मे निर्मित शौचालयों में लाभार्थी के नाम का अंकन, निर्मित शौचालयों में यूनिकोडिंग, शत प्रतिशत गुणवत्ता पूर्वक Geo-Tagging, एवं ओ.डी.एफ. वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू करते हुए इसका सतत अनुश्रवण करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या:5/ 812/1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

ग्राम पंचायत/ग्राम/ मजरों को खुले में शौच मुक्त करने हेतु निर्धारित चेक लिस्टः–

अ) परिवारवार सर्वे:–

मानक (Parameter)	हाँ (√) अथवा ना(x)
1) शौचालय सुविधा की उपलब्धता	
2) शतप्रतिशत शौचालय उपयोग	
3) मक्खी रहित शौचालय (Fly proof toilet)	
4) सुरक्षित मल निपटान	
5) खाने से पूर्व हाथ धोने की आदत	
6) शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत	
7) शौचालय उपयोग एवं हाथ धोने हेतु पानी तथा साबुन की उपलब्धता (शौचालय में/शौचालय के निकट)	

ब) ग्रामवार सर्वे:–

मानक (Parameter)	हाँ (√) अथवा ना(x)
8) गांव में खुले मे मल का दिखाई न देना	
9) स्कूल शौचालय की उपयोगिता।	
10) स्कूल शौचालय में मानव मल का सुरक्षित निपटान	
11) आंगनबाड़ी शौचालय का उपयोग	
12) आंगनबाड़ी शौचालय में मानव मल का सुरक्षित निपटान	

उपरोक्त पैरामीटर हेतु चेक लिस्ट "KEY"–

अ) परिवारवार सर्वे:–

क्र. सं.	मानक (Parameter)	सम्भावित प्रश्न	उत्तर	हाँ (√) अथवा ना (x)
1	शौचालय की उपलब्धता	परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग	i) घर के अन्दर शौचालय है	√
			ii) घर के बाहर शौचालय	√
			iii) घर के अन्दर संयुक्त शौचालय	√
			iv) घर के बाहर संयुक्त शौचालय	√
			v) सामुदायिक शौचालय	√
			vi) सार्वजनिक शौचालय	√
			vii) शौचालय की अनुपलब्धता	x
2	शत प्रतिशत शौचालय की उपयोगिता	क्या परिवार के कोई सदस्य कभी–कभी खुले में शौच के लिए बाहर जाते हैं। *	i) हाँ	x
			ii) नाँ	√
3	मक्खी रहित शौचालय का भौतिक सत्यापन (Fly proof toilet physical observation)	क्या शौचालय मक्खी रहित है।	i) शौचालय वाटर शील है	√
			ii) शौचालय को किसी ढक्कन से ढका है	√
			iii) शौचालय को किसी ढक्कन से ढकने की व्यवस्था नहीं है।	x
4	मानव मल के सुरक्षित निपटान का भौतिक पर्यावेक्षण (physical observation)	मानव मल का निपटान कैसे किया जाता है	i) शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट/ मल को सीधे खुले नाली/नाला/तालाब या नदी मे उत्सर्जित किया जाता है।	x
			ii) शौचालय किसी निकटतम नाले से जुड़ा है तथा बिना किसी प्राथमिक सीवेज ट्रीटमेंट के नाला खुले क्षेत्र, तालाब, नाली,नाला, नदी इत्यादि से जुड़ा है।	x
			iii) शौचालय किसी निकटतम नाले से जुड़ा है तथा प्राथमिक सीवेज ट्रीटमेंट के बाद नाला खुले क्षेत्र, तालाब, नाली,नाला, नदी इत्यादि से जुड़ा है।	√
			iv) शौचालय किसी सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तथा ओवरफ्लो पाइप किसी खुले नाली, तालाब, नाला अथवा नदी मे मिलता है	x
			v) शौचालय किसी सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तथा ओवरफ्लो पाइप किसी	√

क्र. सं.	मानक (Parameter)	सम्भावित प्रश्न	उत्तर	हाँ (√) अथवा ना (X)
			सोक पिट मे मिलता है	
			vi) शौचालय किसी ढक्कनदार Twin pit से जुड़ा है	√
			vii) शौचालय का सब स्ट्रक्चर उपरोक्त समस्त माडल से भिन्न है लेकिन सुरक्षित है	√
5	खाना खाने से पूर्व हाथ धोना (hand washing before meals)	क्या परिवार के सभी सदस्य खाना खाने से पूर्व हाथ धोते है?	i) हाँ	√
			ii) ना	×
6	शौच के बाद साबुन से हाथ धोना (hand washing with soap after defecation)	क्या परिवार के सभी सदस्य शौच के बाद साबुन से हाथ धोते है?	i) हाँ	√
			ii) ना	×
7	शौचालय के अन्दर या निकट साबुन और पानी कि उपलब्धता (availaibility of soap and water in or near the toilet)	भौतिक पर्यवेक्षण (physical observation)	i) शौचालय के अन्दर या निकट साबुन और पानी कि उपलब्ध है	√
			ii) शौचालय के अन्दर या निकट साबुन और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है	×
	*छोटे बच्चो का मल का सुरक्षित निपटान के संबंध मे			
i)	खुले रास्ते गली या घर के इर्द गिर्द खुले मे फेंक दिया जाता है			×
ii)	शौचालय मे फेंक दिया जाता है			√

ग्राम सर्वे

प्र.सं	पैमाना	संभावित प्रश्न	उत्तर	अंक(स्कोर)
8	खुले में शौच नहीं हो रहा है। (zero incidence of open defecation)	भौतिक पर्यवेक्षण (physical observation)	i) गाँव के अन्दर तथा आस पास खुले में शौच दिखाई न दे	√
			ii) गाँव के अन्दर तथा आस पास कहीं–कही खुले में शौच दिखाई देना तथा दुर्गन्ध का एहसास होना	×
			iii) गाँव के अन्दर तथा आस पास अधिकांश जगहों में खुले में शौच दिखाई देना तथा दुर्गन्ध का एहसास होना	×

प्र.सं	पैमाना	संभावित प्रश्न	उत्तर	अंक(स्कोर)
9,11	स्कुल एवं आगनबाडी शौचालय का वास्तविक उपयोग (proper usage of school / anganbadi toilets)	भौतिक पर्यवेक्षण (physical observation)	i) शौचालय या तो बहुत दिनों से प्रयोग में नहीं है अथवा लॉक किया गया है	X
			ii) शौचालय का बहुत हीं निम्न स्तरीय रख–रखाव है, मानव मल शौचालय के अन्दर अथवा निकट दृश्य है, शौचालय उपयोग हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध नही है तथा कभी–कभी प्रयोग किया जा रहा है	x
			iii) शौचालय का बहुत वास्तविक एवं अच्छी रख–रखाव है तथा शौचालय उपयोग हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध है तथा निरन्तर प्रयोग किया जा रहा है	√
10,12	स्कुल एवं आगनवाड़ी शौचालयो में मल–मुत्र का सुरक्षित निपटान (safe-confinement of excreta in school/anganbadi toilets)	भौतिक पर्यवेक्षण (physical observation)	i) शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट / मल को सीधे खुले नाली / नाला / तालाब या नदी मे उत्सर्जित किया जाता है।	x
			ii) शौचालय किसी निकटतम नाले से जुड़ा है तथा बिना किसी प्राथमिक सीवेज ट्रीटमेंट के नाला खुले क्षेत्र, तालाब, नाली,नाला, नदी इत्यादि से जुड़ा है।	x
			iii) शौचालय किसी निकटतम नाले से जुड़ा है तथा प्राथमिक सीवेज ट्रीटमेंट के बाद नाला खुले क्षेत्र, तालाब, नाली, नाला, नदी इत्यादि से जुड़ा है।	√
			iv) शौचालय किसी सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तथा ओवरफ्लो पाइप किसी खुले नाली, तालाब, नाला अथवा नदी मे मिलता है	x
			v) शौचालय किसी सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तथा ओवरफ्लो पाइप किसी सोक पिट मे मिलता है	√
			vi) शौचालय किसी ढक्कनदार Twin pit से जुड़ा है	√
			vii) शौचालय का सब स्ट्रक्चर उपरोक्त समस्त माडल से भिन्न है लेकिन सुरक्षित है	√